

प्रेषक,

निदेशक,

भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

अनु सचिव,

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, अनुभाग-3,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ।

संख्या- 46/भू0ज0वि0/एस-26

दिनांक: लखनऊ, सितम्बर 15, 2020

विषय:-ओ0ए0 नं0-800/2019 आनन्दपुरी, वार्ड सं0-90, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर, आगरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0-717/76-3-2020-06डब्लूपी/2020, दिनांक 23-07-2020 एवं पत्र सं0-1009/76-3-2020-06डब्लूपी/2020, दिनांक 15-09-2020 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र दिनांक 23-07-2020 द्वारा कन्सलटेंट जूडिशियल एन0जी0टी0(पीबी) के पत्र दिनांक 15-07-2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि पत्र में की गई अपेक्षानुसार विषयांकित वाद में पारित आदेश दिनांक 08-07-2020 के अनुपालन के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत करायें। विषयांकित वाद व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भूजल का अवैध निष्कासन, आनन्दपुरी, वार्ड नं0-90, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर, आगरा के संबंध में है, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 08-07-2020 को आदेश पारित करते हुए जिलाधिकारी, आगरा को रिपोर्ट दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफिजिकल सर्वे खण्ड-आगरा को निर्देशित किया गया कि तत्काल जिलाधिकारी, आगरा से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें। सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफिजिकल सर्वे खण्ड-आगरा के पत्र सं0-120/17-08-2020 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गौरव कुमार दिवाकार, प्राविधिक सहायक द्वारा दी गई आख्या के अनुसार(छायाप्रति संलग्न) जिलाधिकारी, आगरा से व्यक्तिगत संपर्क किया गया है, के उपरान्त पाया गया कि उक्त प्रकरण में अवैध निष्कासन को ए0डी0एम0 सिटी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्द करा दिया गया है।

शासन के उक्त पत्र दिनांक 15-09-2020 द्वारा विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 08-07-2020 के संबंध में अनुपालन आख्या दिनांक 16-09-2020 को सुनवाई के समय दाखिल करने तथा अनुपालन आख्या दाखिल न होने के संबंध में दोषी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं, के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं किया जाना था तथा जिलाधिकारी, आगरा से संपर्क स्थापित करते हुए वस्तु स्थिति की जानकारी कर ली गई थी। उक्त के संबंध में judicial-ngt@gov.in पर वस्तु स्थिति की सूचना प्रेषित कर दी गई है।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक-यथोक्त


(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक।

संख्या- /भू0ज0वि0/एस-26/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अनु सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 को उनके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 23-07-2020 एवं दिनांक 15-09-2020 के संबंध में।
- 2- जिलाधिकारी, आगरा को उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 6797/11-08-2020 के संदर्भ में।


(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक।

Email No. 727/MS/WRIT/2020

Reminder Mail for Report in O.A. No. 800/2019

Mon, Sep 14, 2020 03:43 PM
1 attachment

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>
Subject : Reminder Mail for Report in O.A. No. 800/2019
To : CHIEF SECRETARY GoUP <csup@nic.in>, rescu-up@nic.in, upresicommr@gmail.com, DM Agra <dmagr@nic.in>
Reply To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Reminder Mail

Vide order dated 08/07/2020 passed in Original Application No. 800/2019 Anandpuri, Ward No. 90, New Adarsh Nagar, Bulkeshwar, Agra Versus State of Uttar Pradesh. Respondent With Haryali Welfare Society Versus Union of India & Ors. Hon'ble Tribunal directed the concerned authorities to file a compliance report. However, it has not been filed so far.

You are, therefore, requested to file the report immediately in compliance with the aforesaid order. Please note that no further intimation in this regard will be given now. The matter is listed for hearing on 16.09.2020.

In further please send all the documents on the new mail-id i.e. judicial-ngt@gov.in

Kindly acknowledge the same.

कोर्ट केस / तत्काल
डॉ. एस. रामजील /
जिलाधिकारी, आगरा / comp. cell

REGARDS
CONSULTANT (Judicial)
(N.G.T.)(P.B.)

14-9-2020
(डॉ० अमित कुमार)
स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव
उ० प्र० शासन
स० 355 / पीपल्सजीआर

From : "Consultant Judicial-NGT(P.B.)" <judicial-ngt@gov.in>
To : "CHIEF SECRETARY GoUP" <csup@nic.in>, rescu-up@nic.in, upresicommr@gmail.com, "DM Agra" <dmagr@nic.in>
Sent : Wednesday, July 15, 2020 10:32:53 AM
Subject : ORDER passed in Original Application No. 800/2019

प्रमथवट्ट
VS(S)

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the order dated 08/07/2020 passed in Original Application No. 800/2019 Anandpuri, Ward No. 90, New Adarsh Nagar, Bulkeshwar, Agra Versus State of Uttar Pradesh. for your kind perusal & necessary act

for further correspondence please send all the documents on the new mail-id: judicial-ngt@gov.in
Kindly acknowledge the same.

REGARDS
CONSULTANT (Judicial)
(N.G.T.)(P.B.)

कमलेश्वर / आगरा
म. लोकार्ज / म. लोकार्ज
15/9/20

14.09.2020
(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
नृमामि गंगे तथा
गंगाजल जलापूर्ति विभाग
उ० प्र० शासन।

मा0 एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण।

फोन नं०-0522-2287063 (कार्यालय)
 फोन नं०-0522-2287233 (कार्यालय)
 फैक्स नं०-0522-2286471 (कार्यालय)
 Website: http://upgwd.gov.in
 E-mail : upgwd.in@gmail.com

कार्यालय निदेशक,
 भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
 9वाँ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,
 लखनऊ।

संख्या- 416 / भू0ज0वि0 / एस-26(कोर्ट केस)

दिनांक / लखनऊ / जुलाई, 27, 2020

विषय:- ओ0ए0 नं०-800/2019 आनन्दपुरी, वार्ड नं०-90, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर, आगरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में।

सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफिजिकल सर्वे खण्ड-आगरा।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं०-717/76-3-2020-06डब्लूपी/2020, दिनांक 23-07-2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा कन्सलटेंट जूडिशियल एन0जी0टी0(पीबी) के पत्र दिनांक 15-07-2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि पत्र में की गई अपेक्षानुसार विषयांकित वाद में पारित आदेश दिनांक 08-07-2020 के अनुपालन के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत करायें। विषयांकित वाद व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भूजल का अवैध निष्कासन, आनन्दपुरी, वार्ड नं०-90, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर, आगरा के संबंध में है, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 08-07-2020 को आदेश पारित करते हुए जिलाधिकारी, आगरा को रिपोर्ट दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल जिलाधिकारी, आगरा से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें। विषयांकित प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से संबंधित है, अतः सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक-यथोक्त

संख्या-416 / भू0ज0वि0 / एस-26 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अनु सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 को उनके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 23-07-2020 के संबंध में।
- 2- जिलाधिकारी, आगरा।

(पी0के0 उपाध्याय)
 निदेशक।
 27/07/20 27/07/20

(पी0के0 उपाध्याय)
 निदेशक।
 27/07/20 27/07/20

सीनियर जिम्मेदारिजालीएट
मु.ग्रं. जल विभाग
जिम्मेदारिजालीएट लॉर्ड टवण्ड
आगटा



विषय:- वार्ड नं० १०, -मु. आदर्श नगर कालोनी आगटा
के लम्ब-धा में।

महोदय,

आपके उपदेशानुसार मैंने डाटा जिला आधिकारी
कार्मलय जाकर सम्पर्क कर बेल विषय में बात करने
के उपरान्त यह जानकारी मिली की आनन्दपुरी वार्ड
नं० - १०, -मु. आदर्श नगर बलकेश्वर आगटा में मुख्य
के अवैध निष्कालन को ADM City डबल प्रदुषण
निमन्तण बोर्ड डाटा बन्द करवाया गया है जिसमे
डुआख पर प्रदुषण निमन्तण बोर्ड के आधिकारी
श्री विश्व नाथ शर्मा जी के डाटा भी प्रती अवगत
कराया गया है।

दिनांक: 11/08/2020

सन्दीप
गोख कुमार दिवान्त
(जाबिदीक लहायक)

प्रेषक,
विभाकर द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक-15 सितम्बर, 2020

विषय:-ओ0ए0नं0 800/20019 आनन्दपुरी, वार्ड नं0-90, न्यू आदर्श नगर,
बल्केश्वर, आगरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कन्सलटेन्ट जूडिशियल, एन0जी0टी0 (पीबी) के पत्र दिनांक 14-09-2020 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ0ए0नं0 800/2019 आनन्दपुरी, वार्ड नं0-90 न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर, आगरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-07-2020 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दिनांक 16-09-2020 को सुनवायी के समय मा0 न्यायालय में दाखिल कराने एवं अब तक अनुपालन आख्या दाखिल न होने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

15/09/20

श्री सोमेश

निदेशक

15.09.2020

भवदीय
15/9
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

Reminder Mail for Report in O.A. No. 800/2019

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in> Mon, Sep 14, 2020 03:43 PM
Subject : Reminder Mail for Report in O.A. No. 800/2019 1 attachment
To : CHIEF SECRETARY GoUP <csup@nic.in>, rescmm-up@nic.in, upresicommr@gmail.com, DM Agra <dmagr@nic.in>
Reply To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Reminder Mail

Vide order dated **08/07/2020** passed in Original Application No. **800/2019 Anandpuri, Ward No. 90, New Adarsh Nagar, Bulkeshwar, Agra Versus State of Uttar Pradesh**. Respondent With Haryali Welfare Society Versus Union of India & Ors. Hon'ble Tribunal directed the concerned authorities to file a compliance report. However, it has not been filed so far.

You are, therefore, requested to file the report immediately in compliance with the aforesaid order. Please note that no further intimation in this regard will be given now. The matter is listed for hearing on **16.09.2020**.
 In further please send all the documents on the new mail-id i.e. **judicial-ngt@gov.in**
 Kindly acknowledge the same.

कोर्ट केस / तत्काल
 प्र.सं. अग्रजल /
 जिलाधिकारी, आगरा / Comf. cell

REGARDS
 CONSULTANT (Judicial)
 (N.G.T.)(P.B.)

14-9-2020

(डॉ० अमित कुमार)

स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव
 उ० प्र० शासन

सं० 3589 / पीएसएनओ/आर०/२०२०

समयबद्ध

VS(S)

From: "Consultant Judicial-NGT(P.B.)" <judicial-ngt@gov.in>

To: "CHIEF SECRETARY GoUP" <csup@nic.in>, rescmm-up@nic.in, upresicommr@gmail.com, "DM Agra" <dmagr@nic.in>

Sent: Wednesday, July 15, 2020 10:32:53 AM

Subject: ORDER passed in Original Application No. 800/2019

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the order dated **08/07/2020** passed in Original Application No. **800/2019 Anandpuri, Ward No. 90, New Adarsh Nagar, Bulkeshwar, Agra Versus State of Uttar Pradesh**. for your kind perusal & necessary act

for further correspondence please send all the documents on the new mail-id i.e. **judicial-ngt@gov.in**

Kindly acknowledge the same.

प्रति प्रेषित 15.9.20
 JS/0.5-3 650/VS/S/2020

(अनुराग श्रीवास्तव)
 प्रमुख सचिव,
 नुमानि गंगे तथा
 गन्गी जलापूर्ति विभाग
 उ० प्र० शासन।

REGARDS
 CONSULTANT (Judicial)
 (N.G.T.)(P.B.)

Item No. 14

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 800/2019

Anandpuri, Ward No. 90,
New Adarsh Nagar, Bulkeshwar, Agra

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent(s)

Date of hearing: 08.07.2020

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S. P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

ORDER

Vide order dated 17.10.2019, a factual and action taken report was sought from the District Magistrate, Agra with reference to the allegation of illegal extraction of groundwater by Kishan Singh for commercial purpose in Anandpuri Colony, New Adarsh Nagar, Bulkeshwar, Agra.

No response has been received from the District Magistrate, Agra even though the matter has been deferred with several times. Last opportunity is granted for furnishing the report, failing which coercive measures may have to be adopted by the Tribunal against the concerned District Magistrate, including stopping of his salary. The report may be filed before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image/PDF.

A copy of this order be sent to District Magistrate, Agra directly as well as through the Chief Secretary, UP and Resident Commissioner, UP by e-mail.

List again on 16.09.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

S. P. Wangdi, JM

Dr. Satyawan Singh Garbyal, EM

Dr. Nagin Nanda, EM

July 8, 2020
Original Application No. 800/2019
DV

